न्यायालय जिला कलक्टर (आर्बीट्रेटर),उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 09/24 (आबीट्रेशन)

GCMS No. 2024/218

1. कुरसिंह पिता धनसिंह निवासीः किटोड़ा, गिर्वा, उदयपुर
2. मदनसिंह पिता धनसिंह निवासीः किटोड़ा, गिर्वा, उदयपुर
3. मादुसिंह पिता धनसिंह निवासीः किटोड़ा, गिर्वा, उदयपुर
4. प्रेमसिंह पिता जीवनसिंह निवासीः किटोड़ा, गिर्वा, उदयपुर
5. तकतसिंह पिता जीवनसिंह निवासीः किटोड़ा, गिर्वा, उदयपुर
6. रतनसिंह पिता मोकमसिंह निवासीः किटोड़ा, गिर्वा, उदयपुर
7. केशनसंह पिता मोकमसिंह निवासीः किटोड़ा, गिर्वा, उदयपुर
8. मोतीसिंह पिता मोकमसिंह निवासीः किटोड़ा, गिर्वा, उदयपुर
9. ईश्वरसिंह पिता कालुसिंह निवासीः किटोड़ा, गिर्वा, उदयपुर
10. रोहित हुण पिता रतनलाल निवासीः 63, गोविन्द नगर, सेक्टर 13, उदयपुर
11. घनश्याम पिता देवीलाल गुर्जर (धाबाई) निवासीः बलीचा, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
12. नेहा हुण पिता रतनलाल निवासीः 63, गोविन्द नगर, सेक्टर 13, उदयपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर
2. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, उदयपुर (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3–जी(5) वास्ते आर्बीट्रेशन प्रोसिडिंग अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम सहपठित संगत प्रावधान आर्बीट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट

उपस्थित : श्री रतनलाल गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री अनुराग शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांक– 24/03/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 ने अपने पत्र क्रमांक अजिक/अवाप्ति/छःलेन/2015/208 दिनांक 15.05.2015 द्वारा सूचित किया है कि "देबारी से

जिला कलक्टर
उदयपुर

काया बाईपास के छः लेन निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3डी के प्रकाशन अनुसार राजस्व ग्राम कीटोडा, तहसील–गिर्वा की आराजी नम्बर 3785 से 3798, 3112 से 3114, 3116 जिसका कुल क्षेत्रफल 2.1550 हैक्टेयर अवाप्तिधीन है जो राजस्व रेकार्ड के अनुसार आपका हिस्सा खाता अनुसार दर्ज होकर भूमि वर्गीकरण मगरी, ए.एसा-II, III है। भूमि अधिग्रहण के मुआवजा हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के प्रकाशन दिनांक 21.09.2011 को जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित दर अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया गया है।" The Right to Fair Compensation And Transparency Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (संक्षेप में 2013 अधिनियम) दिनांक 01.01.2014 से लागू होकर प्रभावी हो गया था। भारत की संसद ने 2013 अधिनियम के मुआवजा निर्धारण से संबधित प्रावधानों को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 पर दिनांक 01.01.2015 से लागू किये है (2013 अधिनियम की धारा 105 (3) द्वारा लागू किये है) जबकि अवार्ड तो दिनांक 15.05.2015 को बाद में पारित किया गया है। विपक्षी संख्या–1 द्वारा उक्त निर्धारित अवार्ड पुराने एक्ट में पारित किया गया है जो अस्तित्वहीन एवं इनएप्लीकेबल कानून के प्रावधानों के तहत पारित किये जाने के कारण प्रांरभ से ही शून्य होकर अविधिक होने के कारण अपास्त योग्य है। वादी क्रम संख्या 8 एवं 10 ने मुआवजा अविधिक होने के कारण नहीं लिया है एवं भारत की संसद द्वारा पारित एप्लीकेबल कानून प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारण करने हेतु निवेदन किया है। वादी क्रम संख्या 1 से 7 एवं 9 तक अशिक्षित, गरीब, सीमान्त दयनीय किसान होने के कारण अपनी आजीविका छीने जाने के कारण संप्रभुत्व सम्पन्न अधिकारियों द्वारा MoRT&H की गाईडलाईन के निर्देशानुसार स्थानों पर अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर करवाकर अपर्याप्त एवं अविधिक मुआवजा दिया गया है। उन्हें बताया गया कि यही विधिक मुआवजा है, जबकि भारत की संसद द्वारा पारित प्रचलित कानूनी प्रावधान दिनांक 01.01.2015 से लागू हो गये थे। 2013 अधिनियम की धारा 105 (3) सपठित प्रथम अनुसूची जो धारा 30 (2) से गर्वन होती है के तहत Individual Award में मुआवजा निर्धारण किया जाना चाहिए था जो भारतीय संसद का मैनडेट है। अतः ऐसी गाईडलाईन से डिक्टेटेड दयनीय असहाय किसानों की प्राप्त सहमति कोई मायना नहीं रखती है साथ ही कानून एवं पब्लिक पॉलिसी के विपरीत सहमति का कोई विधिक महत्व नहीं है। विशेषकर जहां MoRT&H द्वारा जारी की गई गाईडलाईन से कन्फयूंजन पैदा हुआ हो एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा ज्यूडिशयन एप्लीकेशन ऑफ माइन्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रिसिंपल सिविल न्यायालय को इस प्रोजेक्ट से सबंधित किसानों द्वारा मुआवजा जिन्होने प्राप्त नहीं किया है का वाद रेफरेंस नहीं किया गया है, जिस कारण वाद समयावधि में है। साथ ही 2013 अधिनियम के प्रावधानों का निर्वचन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्दौर डेवलपमेन्ट ऑथोरिटी (सुप्रा) विचाराधीन होने के कारण निर्णय दिनांक 06.03.2020 को ही पारित किया गया था, जिसमें कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है। साथ ही कोरोना नामक वैश्विक बीमारी के संकट के कारण 2020 से 2022 तक लिमिटेशन कण्डोन किये जाने योग्य होने के कारण कण्डोन की जाये। MoRT&H द्वारा दिनांक 28.12.2017 को जारी गलत

जिला कलक्टर
उदयपुर

गाईडलाईन से गाईडेड होकर गलत अवार्ड जारी किया गया है। Section 105(3) is an exception of Section 105(1) of the Act 2013- The First, Second & Third Schedule are applicable to the fourth Schedule Acts- The Executive under the power of the delegated law can not dilute, destroy, damage or defeat the provisions of determination of compensation under the Original Section 105(3) applicable in the period from 01-01-2014 to 31-12-2014 in the interregnum period), which was mandate of the Parliament. Even the substituted/amended Section 105(3) since 31-12-2014 mandates the determination of compensation according to Schedule First (which is governed by Section 30(20) which says "The Collector shall issue individual awards detailing the particulars of compensation payable and the details of payment of the compensation as specified in the First Schedule." The phrase used in Section 105(3) "The Provisions of this Act relating to the determination of compensation according with the First Schedule shall apply to the enactments-------" is the identical language (mirror image) of Section 24(1)(a) "All the provisions of the Act relating to the determination of compensation shall apply-" So the provisions of Section 24(1)(a) defines the phrase of Section 105(3). धारा 105(3) के अनुसार वे प्रावधान जो 2013 अधिनियम में मुआवजा निर्धारण किये जाने से संबधित है, वे लागू होंगे, अर्थात् धारा 24 (1) (a) एवं धारा 24(2) का प्रोविजो लागू होंगे जैसाकि MoRT&H के द्वारा जारी निर्देश O M no- 11011/30/2015-LA दिनांक 31.01.2016, विद्वान सोलिसिटर जनरल की दलीलों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है। विद्वान एर्टोनी जनरल की राय lapsing provision– धारा 24 (2) से संबधित थी जिसका अर्थ MoRT&H की गाईडलाईन दिनांक 28.12.2017 में गलत निकाला गया है जबकि उनकी राय थी कि प्रथम अनुसूची के अनुसार मुआवजा निर्धारण से संबंधित वे सभी प्रावधान लागू होंगे। the applicability of provisions brought by section 105(3) are all the provisions relating to determination of compensation in accordance with the First Schedule shall apply to the NH Act, that is why hon'ble supreme court passed operative order in Para 363 of the judgment. अतः अनुरोध है कि विपक्षी संख्या–1 द्वारा जारी अवार्ड का पुनरीक्षण करवाया जावें एवं वादी द्वारा अविधिक रूप से निर्धारित मुआवजा नहीं लिया गया है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (सुप्रा) के पैरा 363(1) के अनुसार individual award प्रथम अनुसूची अनुसार निर्धारित किया जाए। साथ ही ब्याज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (सुप्रा) के पैरा 363(4) के अनुसार निर्धारित किया जाए। यह भूमि अर्जन करने के पश्चात् हमारे खेत एवं गांव किटोडा दो टुकडों में बंट गये है एवं बीच में से सड़क निकल गयी है। सड़क के दोनों किनारों पर बैरियर खड़े कर दिये गये है। अब ग्रामवासियों के लिए एक खेत से दूसरे खेत में जाने का कोई रास्ता नहीं है। न हीं किसान बैलों को हल जोतने के लिए एक खेत से दूसरे खेत ले जा सकते है, जिसमें पूरे गांव का मानवीय जीवन के साथ ही पशुओं का जीवन भी संकट में पड़ गया है एवं पूरा गावं को एक तरह से जेल में तब्दील कर दिया गया है। नर–नारी एवं बच्चे मंदिरों में पूजा–पाठ नहीं कर पा रहे है एवं स्कूल में जाने के लिए

जिला कलक्टर
उदयपुर

छोटे–छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर बैरियर कूद–कूदकर स्कूल जा रहे है जो सिटिजन के मूलभूत अधिकारों का हनन है। N-H- Authority द्वारा न तो सर्विस रोड़ बनायी गयी है न ही अण्डरपास बनाया गया है। अतः किटोडा गांव के समस्त ग्रामवासियों की अपील है कि मानव जीवन एवं पशु जीवन का अस्तित्व बचाने हेतु सर्विस रोड़ एवं अण्डरपास भारत की संसद द्वारा पारित कानून अनुसार–तृतीय अनुसूची के अनुसार बनाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रार्थीगण की लिखित बहस एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (संक्षेप में 1013 अधिनियम) को भारतीय संसद द्वारा नेशनल हाइवे एक्ट 1956 पर मुआवजे निर्धारण से संबंधित प्रावधान दिनांक 01.01.2015 से धारा 105 की उपधारा (3) द्वारा लागू कर दिया गया था।

The Constitution of India came into force w.e.f 26th January, 1950. it repealed and replaced Govt of India Act, 1935. Dr Rajendra Prasad took the oath of president of India being elected by Constituent Assembly on 24th January, 1950. The Constituent Assembly assumed the role of Parliament on 26th January, 1950 u/Article 379. The all administrative works of Union Govt, State Govt and UT Govt are to be performed under the provisions of Constitution. No work could be done under the provisions of GOI Act, 1935. Likewise, when the new of provisions of compensation came into force w.e.f 1st January, 2015 u/sub section (3) of section105, as mandated by parliament. The old provisions of compensation came to end and became part of history. The First Schedule is governed by section 30(2) of the 2013 Act, In similar manner 7th Schedule of the Constitution which contains only list First, list Second and list Third respectively known as Union List, State List and Concurrent List. The Seventh Schdule of Constitution which is governed by Article 246. Without reading Article 246 the 7th Schedule has no meaning. Likewise the First Schedule Without section 30(2) have no meaning. The Award issued after 1st January 2014 must be issued as per First Schedule. My lord my individual award was passed on 28th July 2015 by CALA under the repealed provisions, which is beyond the competency of power of CALA. Thus, The individual award is null and void ab initio and still born. In the same manner hon'ble Supreme Court struck down in Minerva Mill (AIR 1980 SC)case the section 4 of 42nd Constitution(Amendment) Act, because it was legislated by Parliament beyond it's amendatory power of parliament as laid down in case of Keshavanand Bharti (AIR 1973 SC. Likewise CALA has exercised beyond his power, as laid down by Parliament. Thus, the

जिला कलक्टर
उदयपुर

individual award is illegal ab initio since inception. The CALA ought to have exercised his power under the sub section (3) as mandated by parliament.

(A) The individual award is against the Fundamental policy of Indian law as mandated by parliament in the Act of 2013.

(B)The individual award is vitiated by Patent illegality as against the sub section (3).

(C)The individual award is against the most basic notion of morality and justice as they were given rs.20000/- per bigha compensation whereas they earn rs.20000/- annually per bigha by growing vegetables.

(D)The individual award is against Article 14 because all students of India are going schools, but the students of Kitoda are deprived of going schools.

(E)The individual award is against Article 19 as the residents of Kitoda deprived of fundamental right of movement.

(F)The individual award is against Article 21A as some students are unable to attend school.

(G) The individual award is against Article 25 as the residents of Kitoda are deprived of performing daily religous rituals (Puja Path) in temples.

(H) The individual award is against the judgement of hon'ble Supreme Court (Indore Development Authority v. Manohar lal AIR 2020 sc 1496).

Thus, the individual award is Patently illegal and null and void ab intio and liable to be set aside by your Lordship.

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में पारित निर्णयो की प्रतियां प्रस्तुत की।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रारंभिक आपत्तियां प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि नियमानुसार नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 03 (ए) के प्रावधानों के तहत तत्समय अवाप्ति कार्यवाही प्रचलित डी०एल०सी० दर बाबत् उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त जिला–स्तरीय कमेटी (डी०एल०सी०) की कोई समुचित रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने प्रस्तुत नहीं की है जिसके आधार पर विवादित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 03 (जी) (7) (ए) में स्पष्ट वर्णित है कि The Market value of the land on the date of publication of the notification u/s 3 (A). ऐसी दशा में जिस दिनांक को नोटिफिकेशन 3 (ए) का प्रकाशन हुआ उस दिनांक को जो भी भूमि की किस्म रही है, उसी का मुआवजा प्रार्थी प्राप्त करने की अधिकारिता रखता है। अतः जिला स्तरीय कमेटी (डी०एल०सी०) की समुचित रिपोर्ट के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार आम सूचना प्रकाशित किये जाने की नियत समयावधि के भीतर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, और ना ही प्रार्थी की और से ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय पत्रावली पर प्रस्तुत किया है जिससे यह ज्ञात होता हो कि प्रार्थी की ओर से निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई हो। जबकि नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 03 (सी)

जिला कलक्टर
उदयपुर

में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि Sec 03 C Hearing of Objections: [1]- Any Person interested in the land may, within twenty one days from the date of publication of the notification under sub&section [1] of Section 3A, object to the use of land for the purpose mentioned in that sub-section. उक्तानुसार नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 03 सी के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से एवं प्रार्थी की ओर से निर्धारित अवधि में आपत्तिया सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थी आप अदालत को मुगालते में रखते हुए अब न तो कोई बढी हुई मुआवजा राशि पाने का अधिकारी है न ब्याज या अन्य कोई राशि।

अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थी की अवाप्त भूमि का नियमानुसासर 3ए का प्रकाशन दिनांक 21.09.2011 को कर दिया गया था तत्पश्चात 3 डी का प्रकाशन किया गया एवं दिनांक 13.05.2015 को अवार्ड जारी कर दिया गया जो नियमानूसार किया गया है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा जो अवार्ड राशि प्रार्थी की अवाप्त भूमि की जारी की गई है वह अवार्ड राशि प्रार्थी की भूमि की किस्म के आधार पर उस समय की प्रचलित डी.एल.सी. दर के साथ वैल्यूवेशन रिपोर्ट प्रस्तुत कर इसके आधार पर ही जारी की गई है न कि डी.एल.सी. दर से कम राशि का अवार्ड जारी किया गया है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान दिनांक 01.01.2015 से प्रभावित होने से प्रार्थी इस अधिनियम के तहत अब कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचाराधीन प्रकरण पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act- 2013) प्रकरण पर अक्षरशः लागु नहीं होता है। तोषण की राशि रा०रा०अधिनियम की धारा 3(ए) के तहत वर्जित है। जारी की गई अवाप्ति सुचनाओं के संबंध में प्रभावी दिनांक को लेकर कोई तथ्य सुसंगत रुप से स्पष्ट किया जाना है या कोई भी पक्षकार स्वयं को पीडित महशुस करता है, तो उसके लिए आर्टिकल 226, 227 के तहत शक्तियां केवल मात्र माननीय उच्च न्यायालय में निहित है, जिसका अनुसरण इस स्तर पर आप श्रीमान् अदालत द्वारा किया जाना क्षेत्राधिकारीता से परे होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने योग्य है। जहां 3ए एवं 3डी का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 31.12.2014 से पूर्व हो चुका है उस पर RFCTLARR Act 2013 लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त एक्ट 01.01.2015 से लागू हुआ है। प्रार्थी की भूमि के सम्बन्ध मे भी अधिसूचना दिनांक 21.09.2011 एवं 14.08.2012 को जारी की गई थी इसलिए प्रार्थी द्वारा किये गये कथनों के आधार पर मुआवजा जारी नहीं किया जा सकता है इस वास्ते प्रार्थी को प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा नियमानुसार अवार्ड जारी कर चैक जारी कर दिये गये थे। भूमि अवाप्ति

जिला कलक्टर
उदयपुर

अधिकारी द्वारा तत्समय प्रचलित डी.एल.सी. रेट एवं सम्पूर्ण लाभ व परिलाभ देते हुए प्रार्थी की अवाप्त भूमि का अवार्ड जारी किया गया है, जो कि विधि के प्रावधानों के अनुसार सही व उचित है। प्रार्थी की अवाप्त भूमि का मुआवजा अवार्ड विपक्षी द्वारा दिनांक 13.05.2015 को जारी कर दिया गया था जो विपक्षीगणों द्वारा प्राप्त कर लिया गया है एवं वर्ष 2015 से लगभग 10 वर्ष बीत जाने के पश्चात प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकी नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 03 (सी) में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि Sec 03 C Hearing of Objections: [1]. Any Person interested in the land may, within twenty one days from the date of publication of the notification under sub&section [1] of Section 3A, object to the use of land for the purpose mentioned in that sub-section. उक्तानुसार नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 03 सी के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से एवं प्रार्थी की ओर से निर्धारित अवधि में आपत्तिया सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थी आप अदालत को मुगालते में रखते हुए अब न तो कोई बढी हुई मुआवजा राशि पाने का अधिकारी है न ब्याज या अन्य कोई राशि, उक्तानूसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मयाद अवधी से बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षी द्वारा प्रार्थी की अवाप्त भूमि का नियमानुसार अवार्ड जारी किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा अपनी मनमर्जी से अपनी अवाप्त भूमि का आंकलन बाजार मुल्य की दर से किया गया है जो पोषणीय नहीं है। विपक्षी द्वारा प्रार्थी की अवाप्त भूमि का मुआवजा दिनांक 13.05.2015 को जारी किया गया था वह नियमानूसार तहसीलदार गिर्वा से प्राप्त प्रमाणित राजस्व अभिलेख व मौके की जांच रिपोर्ट के आधार पर भूमि का प्रतिकर निधारित किया गया था इसलिए प्रार्थी अब और कोई अधिक मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का क्लेम प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण निरस्त किये जाने का आदेश न्यायहित में बक्षाया जावें। प्रार्थी कानूनन न तो कोई बढी हुई मुआवजा राशि पाने का अधिकारी है न ब्याज एवं अन्य कोई दाद राशि प्राप्त करने का अधिकारी है इस वास्तें प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित खारिज किया जावे।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम कीटोडा तहसील गिर्वा की आराजी संख्या 3785 से 3798, 3112 से 3114, 3116 रकबा 2.1550 हे. अवाप्त की जाकर दिनांक 13.05.2015 को अवार्ड जारी किया गया। प्रार्थी का कथन है कि भारत की संसद ने 2013 अधिनियम के मुआवजा निर्धारण से सम्बन्धित प्रावधानों को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 पर दिनांक 01.01.2015 से लागू किये है एवं अवार्ड 13.05.2015 को जारी किया गया था इसलिये नये प्रावधानों के अनुसार मुआवजा निर्धारण करते हुए भुगतान किया जाना चाहिए था जो नही

जिला कलक्टर
उदयपुर

किया गया है। प्रार्थी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Union of India and another V/s Tarsem Singh and others में पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत कर नये प्रावधानों के तहत मुआवजा भुगतान का निवेदन किया गया जबकि अधिवक्ता विपक्षी इस कथन से तो सहमत है कि नये प्रावधान 01.01.2015 से लागू किये गये है किन्तु हस्तगत प्रकरण में भूमि का 3ए एवं 3डी प्रकाशन 31.12.2014 से पूर्व हो चुका था एवं प्रार्थी की भूमि के सम्बन्ध में भी अधिसूचना दिनांक 21.09.2011 एवं 14.08.2012 को जारी हो चुकी थी एवं अवार्ड 13.05.2015 को जारी किया गया है ऐसी स्थिति में मुआवजा भुगतान किन प्रावधानों के तहत किये जायेगे इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नही होने से प्रकरण का पुनः परीक्षण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा Union of India and another V/s Tarsem Singh and others में पारित निर्णय एवं मुआवजा भुगतान के सम्बन्ध में नियमों एवं दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई, दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर विधिसम्मत कार्यवाही करे। साथ ही परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उदयपुर को भी निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में जिनमें प्रकाशन नये प्रावधानों के लागू होने की दिनांक 01.01.2015 से पूर्व हो चुका है एवं अवार्ड उक्त दिनांक के पश्चात जारी हुए है तो मुआवजा निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में जारी परिपत्र/दिशा निर्देशों की प्रतियां भी सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी को उपलब्ध करावें ताकि मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध में नियमानुसार उचित कार्यवाही की जा सके।

निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारो को नियमानुसार प्रदान की जावें एवं निर्णय की प्रति मय अवाप्ति अधिकारी की अवार्ड पत्रावली 18/2015 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर,
उदयपुर